

**Sector-12 Naya Raipur 02-05-2016**  
**General Instruction for Planning & Bid Submission**

संदर्भ :- 1) समाचार पत्र दैनिक भास्कर रायपुर का विज्ञापन दिनांक 02.05.2016

2) समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली का विज्ञापन दिनांक 03.05.2016

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की प्रस्तावित आवासीय योजना सेक्टर-12, नया रायपुर के वास्तुविदीय एवं इंजी. कार्य के लिए ई.ओ.आई 2015 के माध्यम से मंडल से पंजीबद्ध सूची ए के श्रेणी ए के वास्तुविद/फर्म/कंपनीयो से (1) तकनीकी ऑफर (2) वित्तीय ऑफर आमंत्रित करने बाबत्। (तृतीय आमंत्रण)

- समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति।
- बिड जमा करने की दिनांक 10.05.2016 समय शाम 5.00 बजे तक। बिड-व्यक्तिगत/ स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा स्थान आयुक्त कार्यालय, मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर में जमा किया जा सकता है।
- तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 12.05.2016 समय 11.30 बजे से स्थान मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर। इस बिड ओपनिंग के समय बिड में भाग लिए वास्तुविद/फर्म स्वयं या उनके प्रतिनिधि आमंत्रित है।
- वित्तीय ऑफर बाद में खोला जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी। वित्तीय ऑफर ई.ओ.आई. 2015 (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016) ई.ओ.आई. 2015 के बिन्दु क्रमांक-7.5 के आधार पर तैयार करें।
- योजना की लागत लगभग रु.400.00 करोड़ (फाईनल प्रोजेक्ट के समय लागत कम या ज्यादा हो सकती है)
- योजना का भूमि रकबा 75.0 एकड़
- प्रोसेस फीस..... रु. 10,000 (रु. दस हजार) डी.डी.
- EMD राशि..... रु. 1,00,000 (रु. एक लाख) डी.डी.
- सर्वे प्लान सॉफ्ट कॉपी :- संलग्न
- योजना के लिये विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र भवन एवं प्रकोष्ठ भवन के लिये निम्न तालिकाबुसार तैयार किया जावें।

Sn.	Type of house/Flat		Plot Area (tentative)	Built up Area Range Appr.	Carpet Area (Max.)	Remark
	Independent		In sqm	In sqm	In sqm	
1.	HIG Sr	Semi Detached	216 m <sup>2</sup>	175-200		4 BHK (G+1)
2.	HIG Jr	Semi Detached	184 m <sup>2</sup>	150-175		3 BHK (G+1)
3.	MIG Sr	Row type	135 m <sup>2</sup>	100-150		2 BHK (G+1)
4.	MIG Jr 1	Row type	91 m <sup>2</sup>	75-110		2 BHK(G+1)
	<b>Flat</b>					
5.	HIG (S+6)			110-125		3 BHK(G+6/8)
6.	MIG Sr (S+6/8)			90-110		2 BHK (S+6/8 story)

7.	MIG Jr. (S+6/8)			70-90		2 BHK (S+6/8)
8.	LIG B (S+6/8)				60.0 m <sup>2</sup>	2 BHK(S+8)
9.	LIG A (S+6/8)				40.0 m <sup>2</sup>	1 BHK ((S+6/8)
10.	EWS (G+2)				30.0 m <sup>2</sup>	1 BHK

- यह योजना NRDA की गाइडलाईन, T&CP, नगर निगम एवं केन्द्र व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होनी चाहिए।
- यह योजना वास्तु विज्ञान का ज्यादा उपयोग करते हुये होना चाहिए एवं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन कानसेप्ट का समावेश, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का समावेश किया जाना चाहिए।
- यह योजना तैयार करने के पूर्व भूमि का निरीक्षण अवश्य किया जावे।
- योजना में EWS प्लानिंग एरिया (1.4 हेक्टे.) सर्वे प्लान में दर्शाया गया है। इस पर प्लानिंग करें।
- EWS प्लॉटों की संख्या योजना में प्रस्तावित किये गये सभी भवनों की कुल संख्या का 35 प्रतिशत संख्या होना चाहिये। इसके लिए यदि (1.4 हेक्टे.) भूमि कम पड़ती है तो इसे ज्यादा एरिया में लिया जा सकता है।
- योजना में पूरा FAR का उपयोग किया जाना है। पूरी योजना के लिये कम्पाउंड वॉल का एवं मैन गेट सेक्थोरिटी रूम के साथ प्रावधान रखा जावे।
- यह योजना केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईड लाईन एवं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नियमों पर आधारित होना चाहिए।
- इन योजना के लिए प्रोसेस फीस एवं (EMD) अमानत राशि (उपरोक्तानुसार) की डी.डी. जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा बिड गिरस्त मानी जायेगी।
- विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिड स्वीकार नहीं किये जावेगें। (Postal delay will not be considered)
- चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनी को कार्य वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर करने हेतु सहमति दी जावेगी एवं इसका अनुबंध अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए ही रहेगा। इस योजनाओं में मण्डल को उपलब्ध भूमि में ही योजना तैयार की जावेगी एवं उसके अनुसार ही वास्तुविद/फर्म/कंपनी को भुगतान किया जावेगा।
- ई.ओ.आई. 2015 के करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016 संलग्न है, इसका अवलोकन कर प्रपोजल जमा करें।
- इन योजनाओं के लिए एवार्ड ऑफ चर्क ई.ओ.आई. 2015 के (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016) 7.4 बिन्दु के विधि अनुसार वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन किया जायेगा।

- फाईनल चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनी को मण्डल की ई.ओ.आई. 2015 के (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016) व अन्य शर्तों, नियम, स्कोप ऑफ वर्क मोड ऑफ पेमेंट के अनुसार कार्य किया जाना होगा।
- ई.एम.डी. राशि को इस योजना के लिए चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद चयनित कंसलटेन्ट का डी.डी. मण्डल में जमा रहेगा व इसे फाईनल बिल भुगतान के समय समायोजित किया जायेगा व बिड में भाग लिए अन्य कंसलटेन्टों का डी.डी. इनके द्वारा मांग की जाने पर चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद वापस किया जायेगा।
- उक्त योजना के स्थल निरीक्षण हेतु सम्बंधित कार्यपालन अभियंता संभाग CPD-2 रायपुर 9424209071 से सम्पर्क किया जा सकता है, एवं इस योजना के प्लानिंग हेतु अन्य वास्तुविदीय जानकारी हेतु मण्डल मुख्यालय के वास्तुविद मो. 9424209010 पर संपर्क किया जा सकता है।
- NRDA गाईडलाईन की साफ्ट प्रति संलग्न है।



वास्तुविद

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
मुख्यालय, रायपुर